न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इलिशियल्स जज

कैलाश बनाम रामचन्द्र

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02/66/2022

20.06.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खाता संख्या 34 व खसरा संख्या 202/0. 16, 205/0.21, 206/0.34, 295/0.54, 296/0.05, 297/0.88, 298/1.39, 304/0.34, 309/0.24 है0 वाके ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील टहला जिला अलवर के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, न करावें ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करे। ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में उनके हिस्सेनुसार कब्जें–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 31.08.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 31.08.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	09/02/25 .... अभिभाषक चन्दन ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 10/02/25 को पेश हो S.D.O. 1/08/13 पीठासीन अ: स्थानान्तरण ... कार्यों में व्यस्त है। पत्राव: दिनांक 2/5/25 को पेश हो। रीडर 08/8/25 बकुजाई तारीख से पेश पीठासीन अ... अन्य कार्यों में व्यस्त है। प: ... दिनांक 06/10/25 को पेश हो। रीडर 06/10/25 पत्रावली पेश। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 27/10/25 को पेश हो SDO 27/10/25 पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अत: प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद पूर्ति मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO